



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129117

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 8507 वर्ष 2026

भानु प्रताप निगम उर्फ विनय कुमार निगम

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : भगवान दत्त पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. पाण्डेय तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.एस. सिंह को सुना गया।
2. प्रस्तावित किए जा रहे आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं।
3. याची का मामला यह है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा याची तथा श्री विकास श्रीवास्तव के विरुद्ध एक परिवाद संस्थित किया गया था और तत्पश्चात, दिनांक 16.01.2020 को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज ने परिवाद मामला संख्या 2040 वर्ष 2018, नंदलाल बनाम विकास श्रीवास्तव में, याची और विकास श्रीवास्तव को भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 419, 420 के अंतर्गत तलब किया, जिसके विरुद्ध श्री विकास श्रीवास्तव ने पुनरीक्षण संख्या 145 वर्ष 2019 प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 16.01.2020 को निरस्त कर दिया गया। यह धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या 5336 वर्ष 2020 में चुनौती का विषय था, जिसमें दिनांक 25.02.2020 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"आवेदक विकास श्रीवास्तव ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र दाखिल किया:-

"सत्र न्यायाधीश, महाराजगंज द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 145 वर्ष 2019 (विकास श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 16.1.2020 के साथ-साथ परिवाद मामला संख्या 2040 वर्ष 2018, नंद लाल बनाम विकास श्रीवास्तव और अन्य, अंतर्गत धारा 406, 419 और 420 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना निचलौल, जिला महाराजगंज में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांक 5.9.2019 को निरस्त करें।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है; उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है; आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। परिवाद के आरोप और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचनादाता ने एक सिविल विवाद को दाण्डिक अपराध में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। अपराध पूर्णतः सिविल प्रकृति का है परंतु विचारण न्यायालय ने इस पहलू पर विचार नहीं किया और साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बिना अभियुक्त-आवेदक को तलब किया। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में कुछ दस्तावेज और साक्ष्य दिखाए। उनके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपर उप-जिलाधिकारी, सदर महाराजगंज द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) महाराजगंज को प्रस्तुत आख्या दिनांक 4.8.2018 यह दर्शाती है कि अभिलेख में कोई हेरफेर नहीं है परंतु विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त अभिलेख को संज्ञान में नहीं लिया और आक्षेपित आदेश पारित कर दिया।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने विचारण का सामना करने हेतु अभियुक्त को उचित रूप से तलब किया है।

पत्रावली के अनुशीलन से यह परिलक्षित होता है कि सूचनादाता नंद लाल वर्मा, यहां विपक्षी संख्या 2, द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना-पत्र पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज ने प्रियंका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप की जांच करने और अपनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आख्या प्रस्तुत करने के लिए किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने का निदेश दिया। मामले की जांच अपर उप-जिलाधिकारी महाराजगंज द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी आख्या प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि अभिलेख पर कोई हेरफेर नहीं था।

आक्षेपित आदेश दिनांक 5.9.2019 के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, आक्षेपित तलबी आदेश पारित करते समय, अपर उप-जिलाधिकारी, सदर, महाराजगंज द्वारा प्रस्तुत आख्या को संज्ञान में नहीं लिया। आक्षेपित आदेश न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग का अभाव दर्शाता है। यह दर्शाता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश को आकस्मिक रूप से और मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आक्षेपित आदेश दिनांक 16.1.2020 निरस्त किया जाता है। संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट को उनके समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण सामग्री पर विचार करने तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार एक नया सकारण तथा स्पष्ट आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) पारित करने हेतु मामला वापस भेजा जाता है।

कार्यालय को यह आदेश तत्काल संबंधित जिला न्यायाधीश के माध्यम से संबंधित न्यायालय को सूचित करने का निदेश दिया जाता है।”

4. तत्पश्चात, दिनांक 11.01.2022 को, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रवर), महाराजगंज ने याची और श्री विकास श्रीवास्तव को भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 419, 420, 506 के अंतर्गत तलब किया। श्री विकास श्रीवास्तव ने धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या 5308 वर्ष 2022, विकास श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दाखिल करते हुए इसे चुनौती दी, जिसमें दिनांक 23.03.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

“विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने हेतु चार सप्ताह का समय मांगते हैं और उन्हें यह समय प्रदान किया जाता है। उसके पश्चात दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दाखिल किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात इसे तत्काल उपयुक्त न्यायापीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। सूचीबद्ध करने की अगली तिथि तक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रवर), महाराजगंज के समक्ष लंबित परिवाद मामला संख्या 2040 वर्ष 2018 (नंद लाल बनाम विकास श्रीवास्तव और अन्य), अंतर्गत धारा 406, 409, 419, 420, 506 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना निचलौल, जिला महाराजगंज में आवेदक के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।”

5. अब याची ने एक पुनरीक्षण संख्या 15 वर्ष 2022 प्रस्तुत किया, जिसे अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, महाराजगंज के न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2026 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि विकास श्रीवास्तव द्वारा पहले ही एक 482 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है और अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पुनरीक्षण में गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही करने से स्वयं को विरत कर लिया।
6. इस आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।
7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विपक्षी संख्या दो द्वारा संस्थित किए गए परिवाद मामले में याची और श्री विकास श्रीवास्तव दोनों अभियुक्त थे। केवल इसलिए कि विकास श्रीवास्तव द्वारा एक 482 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, और जिसमें एक अंतरिम आदेश प्रदान किया गया है, याची द्वारा प्रस्तुत किए गए पुनरीक्षण को निर्णीत करने के दायित्व से बचने का कोई आधार नहीं होगा। यह कथन है कि इस अति-तकनीकी आधार पर कि विकास श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया 482 प्रार्थना-पत्र लंबित है, पुनरीक्षण को गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किया जाना चाहिए था।
8. दूसरी ओर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि जो भी हो, यह पुनरीक्षण न्यायालय पर था कि वह गुण-दोष पर विचार करे, यद्यपि वह इसे स्वीकार या निरस्त कर सकता था।
9. पक्षकारों की दलीलों को सुनने के पश्चात, विचारणार्थ एकमात्र प्रश्न यह है कि न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा क्या होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से, याची और विकास श्रीवास्तव के विरुद्ध पारित तलबी आदेश के विरुद्ध, विकास श्रीवास्तव को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। तथापि, याची

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा प्रस्तुत किए गए पुनरीक्षण को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि विकास श्रीवास्तव के कहने पर मामला पहले ही विचाराधीन और लंबित है।

10. न्यायालय के विचार में, यदि पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होता तो स्थिति भिन्न हो सकती थी। एक बार जब एक सह-अभियुक्त द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है और दूसरे सह-अभियुक्त को 482 प्रार्थना-पत्र में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है, तो पुनरीक्षण न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए अपने दायित्व से बचने और स्वयं को विरत करने के बजाय मामले के गुण-दोष पर विचार करना चाहिए था। निचली अदालत द्वारा अपनाए गए संपूर्ण दृष्टिकोण को विधिक नहीं कहा जा सकता है।
11. इस प्रक्रम पर, याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, 2024 0 सुप्रीम (एससी) 689 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत याची का मामला आच्छादित है।
12. न्यायालय के विचार में, एक बार जब ऐसा आधार लिया जाता है, तो निचली अदालत उस पर विचार करेगी।
13. तदनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महाराजगंज द्वारा पुनरीक्षण संख्या 15 वर्ष 2022 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 अपास्त किया जाता है।
14. मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना अत्यंत शीघ्रता के साथ एक नया आदेश पारित करने हेतु वापस भेजा जाता है।
15. यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है।
16. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

25 जून, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।